न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 75/2012 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2012/00089

1. आसूराम पुत्र मूलाराम, जाति सांसी, निवासी खारी चारनान, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. उदाराम पुत्र चान्दाराम, जाति सांसी, निवासी मोलानिया, तहसील व जिला बीकानेर।
2. शंकर पुत्र कानाराम, जाति सांसी, निवासी मोलानिया, तहसील व जिला बीकानेर।
3. सुगनाराम पुत्र चान्दाराम, जाति सांसी, निवासी मोलानिया, तहसील व जिला बीकानेर।
4. सुखा पुत्र डालूराम, जाति सांसी निवासी मोलानिया, तसहील व जिला बीकानेर।
5. सुरजा पुत्र डालूराम, जाति सांसी निवासी मोलानिया, तसहील व जिला बीकानेर।
6. लादू पुत्र डालूराम, जाति सांसी निवासी मोलानिया, तसहील व जिला बीकानेर।
7. शिव पुत्र डालूराम, जाति सांसी निवासी मोलानिया, तसहील व जिला बीकानेर।
8. जड़ाव पुत्री चान्दाराम, जाति सांसी, निवासी मोलानिया, तहसील व जिला बीकानेर।
9. सोना पुत्री चान्दाराम जाति सांसी, निवासी मोलानिया, तहसील व जिला बीकानेर।
10. ग्राम पंचायत कतरियासर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कतरियासर, तहसील बीकानेर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री करन सिंह तंवर अभिभाषक अपीलांट

निर्णय

दिनांक 08.07.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, (उत्तर) बीकानेर के आदेश दिनांक 12.06.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि ग्राम मोलानिया के खसरा नंबर 163/79 की 51 बीघा 9 बिस्वा एवं खसरा नंबर 141/60 की 78 बीघा 19 बिस्वा भूमि अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट्स के पिता चान्दाराम से खरीद की थी। चान्दाराम की मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत कतरियासर ने विरासतन इंतकाल संख्या 2 दर्ज कर दिया। अपीलांट ने ग्राम पंचायत कतरियासर द्वारा दर्ज इंतकाल संख्या 2 के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर ने अपील यह कहते हुए अस्वीकार कर दी कि अपीलाट्स को सक्षम न्यायालय से अपने स्वत्व व हकों की घोषणा करवानी चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 12.06.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलाधीन भूमि अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट्स के पिता चन्दाराम से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 20.06.1995 से खरीद की थी। बेचान के समय ही चांदा पुत्र जीवन ने उक्त वादग्रस्त भूमि

का कब्जा अपीलांट के सुपूर्द कर दिया था। आज भी अपीलांट मौके पर काबिज काश्त है। विक्रेता चांदाराम पुत्र जीवन का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात रेस्पोडेन्ट्स ने ग्राम पंचायत कतरियासर के साथ साज–बाज करके विरासतन इंतकाल दर्ज करवा लिया। इंतकाल संख्या 2 तस्दीक करने से पहले मौके की काब्जा काश्त की कोई जांच नहीं की गई। इंतकाल संख्या 2 दर्ज करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का अवसर भी नही दिया गया था, बल्कि सम्पूर्ण कार्यवाही एकतरफा तौर पर की गई थी। चांदाराम अपने खातेदारी अधिकार बैच कर चुका है, तो उसका विरासतन इंतकाल रेस्पोडेन्ट्स के नाम चढ ही नहीं सकता हैं। उक्त सभी तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए विरासतन इंतकाल संख्या 2 दर्ज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर ने इंतकाल संख्या 2 को सही माना है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.06.2012 निरस्त किया जावे।

4– हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। वादग्रस्त भूमि अपीलांट ने विक्रय–पत्र के आधार पर दिनांक 20.06.1995 को क्रय की थी, और अपीलांट ने विक्रेता चांदाराम की मृत्यु तक नामांतरकरण नहीं खुलवाया गया। ग्राम पंचायत कतरियासर ने जब विरासतन इंतकाल संख्या 2 दर्ज किया उस समय विक्रय–पत्र दिनांक 20.06.1995 प्रस्तुत नहीं किया गया था। ग्राम पंचायत कतरियासर विक्रय–पत्र की जानकारी के अभाव में इंतकाल दर्ज किया है। अपीलांट ने दिनांक 20.06.1995 को उक्त वादग्रस्त भूमि क्रय की थी, जिसका आज दिनांक तक नामान्तरकरण नहीं खुलवाया। चांदाराम की मृत्यु के पश्चात विरासतन इंतकाल दर्ज होने के बाद अपीलांट ने अपील प्रस्तुत की। उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलांट को बैयनामे संबंधी अधिकारों की घोषणा सक्षम न्यायालय से करवाई जा सकती है। जब तक बैयनामे के अधिकार सक्षम न्यायालय में तय नहीं हो जाते तब तक विरासतन दर्ज इंतकाल खारिज करना उचित नहीं समझतें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(उत्तर) बीकानेर का अपीलाधीन आदेश उचित प्रतीत होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(उत्तर) बीकानेर के निर्णय दिनांक 12.06.2012 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/7/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर